न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 382–दो/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–11–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा अपील प्रकरण कमांक 475/ए–46/91–92.

.....

1 रामजतन पुत्र गोविंदीराम उम्र लगभग 53 वर्ष
निवासी ग्राम चौका सोनवर्षा तहसील मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0
2 सुन्दरी विधवा राम निहोरे उम्र लगभग 50 वर्ष
निवासी ग्राम चौका सोनवर्षा तहसील मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0
3 रामजी पुत्र राम निहोरे उम्र लगभग 29 वर्ष
निवासी ग्राम चौका सोनवर्षा तहसील मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0
4 श्यामाचरण पुत्र रामनिहोरे उम्र 23 वर्ष
निवासी ग्राम चौका सोनवर्षा तहसील मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 विधिक उत्तराधिकारी शंकर
(अ) श्रीमती जय रजुआ पुत्री शंकर पत्नी कौशल प्रसाद
ग्राम सिलपारी तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0
(ब) श्रीमती बूटन पुत्री शंकर पत्नी मोतीलाल
निवासी भीटा तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0
2 लालमनी पुत्र तुलसीराम कुरमबंसी उम्र 75 वर्ष
निवासी ग्राम नोधीया तहसील मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0
3 ठाकुरदीन पुत्र मंगल कुरमबंसी उम्र 55 वर्ष
निवासी ग्राम नौधीया तहसील मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री मनीष श्रीवास्तव अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20.10.2015 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 382–दो/2001 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग के द्वारा उनके प्र.कमांक–475/ए–46/91–92 में पारित आदेश दिनांक 14–11–2000 के विरूद्ध दायर हुआ है।

2/ मेरे द्वारा अपर आयुक्त, रीवा के आदेश दिनांक 14–11–2000 निगरानी मेमों, एवं प्रकरण के अभिलेखों के बारीकी से परिशीलन किया गया । अपर आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज, जिला रीवा के प्रकरण कमांक 5/अ–46/78–79 में पारित आदेश दिनांक 30–7–83 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत हुई थी । अपने आदेश दिनांक 14–11–2000 में अपर आयुक्त रीवा द्वारा यह लिखा गया है कि मूल अपीलार्थी गोविन्दराम की अर्सा पहले मृत्यु होने के बावजूद, गोविन्दराम के पुत्र रामजतन द्वारा दिनांक 12–12–84 को (अपर आयुक्त अधीनस्थ) न्यायालय में गोविन्दराम की मृत्यु की सूचना देते हुए उसके वारिसों को पक्षकार बनाने का आवेदन दिया गया, किन्तु गोविन्दराम की मृत्यु कब हुई, इस बारे में इस वारसान आवेदन में कोई विवरण नहीं दिया गया। इस आधार पर अपर आयुक्त ने उनके समक्ष की अपील उपशमित कर दी, और उनके न्यायालय से प्रकरण समाप्त कर दिया ।

3/ निगरानी मेमों में लिखे निगरानी के आधारों के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वर्ष 1983 में गोविन्दराम के वारसान को अभिलेख पर लेने का आवेदन निरस्त किया गया (जिसके विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष, एवं तदुपरान्त निगरानी राजस्व मण्डल में हुई) । इसके अतिरिक्त, निगरानी ममो में लिखे आधारों के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण वर्ष 1987 में 'डिसमिस इन डिफाल्ट' किया गया था, तथा उसके रिस्टोरेशन हेतु आवेदन भी वर्ष 1989 में अस्वीकृत किया गया था । इसके विरूद्ध वर्ष 1989–90 में राजस्व मण्डल में अपील

प्रकरण कमांक 118–पीबीआर/89 दायर होना (निगरानी मेमों में) लिखा है । निगराकार का कहना है कि चूँकि यह अपील प्रकरण राजस्व मण्डल में स्वीकृत हुआ था, एवं चूँकि राजस्व मण्डल के समक्ष के यह अपील गोविन्दराम (मृत) के वारसान द्वारा दायर की गई थी, अतः गोविन्दराम के वारसान का रिकार्ड पर होना, इस अपील के स्वीकृत होने के परिणामस्वरूप, मान्य किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त, चूँकि गैर–निगराकार पक्ष द्वारा गोविन्दराम की मृत्यु की दिनांक के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः निगराकारों के अनुसार, अपर आयुक्त का आदेश, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में गोविन्दराम (मृत) के वारसान को अभिलेख पर लिये जाने के विरूद्ध निर्णय दिया गया है, को निरस्त किया जाए ।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण की विषयवस्तु के सुसंगत पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया गया । प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है :–

(1) यदि राजस्व मण्डल में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मूल प्रकरण को डिसमिस इन डिफाल्ट करने के निर्णय के विरूद्ध गोविन्दराम (मृत) के वारसान द्वारा प्रस्तुत अपील को, स्वीकार किया गया है, तो क्या इसे गोविन्दराम के वारसान को रिकार्ड पर ले लिये जाने का निर्णय माना जा सकता है ?

(2) क्या अपर आयुक्त द्वारा वारसान के आवेदन को अभिलेख पर नहीं लेने के आधार, (कं) गोविन्दराम की मृत्यु की दिनांक नहीं बताना, एवं (ख) गोविन्दराम की मृत्यु के 'अर्से' बाद वारसान आवेदन लगाना, पर्याप्त कारण माने जा सकते थे ?

(3) क्या अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण में पारित आदेश, समुचित रूप से बोलता हुआ आदेश था ?

5/ मेरे मत में, अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में उपरोक्त बिन्दु 2 (क) एवं (ख) के आधार लिखे तो गए हैं, किन्तु उनके द्वारा उनके समक्ष के प्रकरण में, उस प्रकरण के अपील प्रकरण होने के बावजूद, इन बिन्दुओं पर आवश्यक स्पष्टता प्राप्त नहीं की गई । ना ही उनके द्वारा, इन तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण को अंस्वीकृत करने के विधिक आधारों का ही कोई भी खुलासा किया गया ।

6/ यदि राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में बिन्दु कमांक 1 में लिखी अपील स्वीकृत की गई है, तो इस संबंध में संबंधित फाइल अथवा आदेश की प्रति देखने पर ही कुछ कहा जा सकता है । (ये इस नस्ती में उपलब्ध नहीं है)

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी इन निर्देशों के साथ अपर आयुक्त, रीवा को प्रत्यावर्तित की जाती है कि वे अपने न्यायालय का अपील प्रकरण कमांक 475/ए–46/91–92 पुनः खोले, तथा गोविन्दराम (मृत) की मृत्यु के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु इस न्यायालय के निगराकारों को समुचित अवसर दें, एवं गैर निगराकारों को प्रतिपरीक्षण इत्यादि हेतु समुचित अवसर दें । तदुपरान्त विधि के सुसंगत प्रावधानों का आधार लेते हुए, अपने समक्ष के प्रकरण में बोलता हुआ निर्णय पारित करें । इसके अतिरिक्त यदि निगराकार, उपरोक्त पैरा 5 के विचारणीय बिन्दु कमांक 2 में लिखे अनुसार, तथा उनके (निगराकार के) द्वारा निगरानी मेमों में बताए अनुसार, राजस्व मण्डल के समक्ष के अन्य संबंधित अपील प्रकरण के निर्णय आदि की प्रति अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो, अपर आयुक्त उसका परिशीलन कर उसके प्रकाश में भी आवश्यकतानुसार योग्य निर्णय लें ।

पक्षकार, विशेष निगराकार पक्ष, अपर आयुक्त के समक्ष अपना समर्थन समुचित रूप से अविलम्ब करें, जो शीघ्रतापूर्वक नहीं किये जाने पर, अपर आयुक्त योग्य न्यायोचित निर्णय लेंगे ।

प्रकरण का निराकरण अपर आयुक्त द्वारा इस आदेश की संसूचना के 6 माह के भीतर अनिवार्यतः किया जाए ।

पक्षकार सूचित हो ।

प्रकरण समाप्त ।

दा0 द0 हों ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर